

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2063 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार कु. प्रियंका ध्रुव, पिता- श्री संतराम ध्रुव (अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

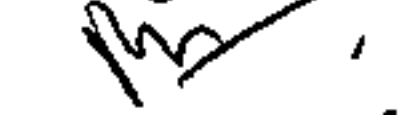
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



रायपुर, दिनांक 13/05/2013

पृ. क्र. 2064 /स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. कु. प्रियंका ध्रुव, पिता- श्री संत राम ध्रुव, कक्ष क्र.-217, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पेंशनबाड़ा, रायपुर (छ.ग.) 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

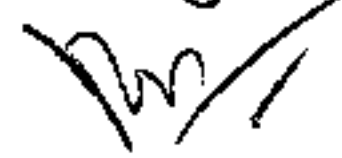
प्रमुख, कम्प्यूटर प्रणाली शाखा

प्रमुख, छात्र न्यायिक आदेश के

वि. वि. वेबसाइट से सम्बन्धित कार्य के लिये



उप कुलसचिव (प्रशासन)



13/5/13
14-5-13

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2053 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री रामनारायण ठाकुर, पिता- श्री उदेराम ठाकुर (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक् किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



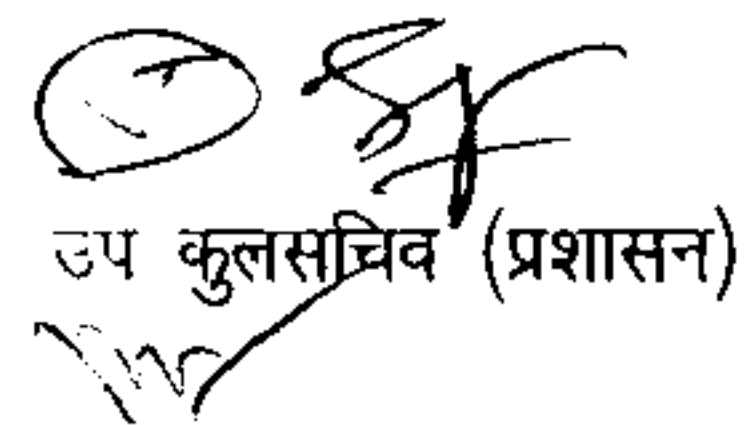
(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

पृ. क्र. 2054 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री रामनारायण ठाकुर, पिता- श्री उदेराम ठाकुर, ग्राम-पोस्ट-रसेला, ब्हाया-छुरा, तहसील-छुरा, जिला- गरियाबंद (छ.ग.) 493996 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 2055 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री दीनदयाल पीस्टा, पिता- श्री मोतीराम पिस्टा (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



पृ. क्र. 2056 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री दीनदयाल पिस्टा, पिता- श्री मोतीराम पिस्टा, ग्राम-बड़गाँव चारभाँठा, पोस्ट- महरूम, तह.+थाना-डोंगरगाँव, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.) 491661 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2057 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री युगल किशोर, पिता- श्री गोपाल सिंह ठाकुर (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चक्रवर्ती)

कुलसचिव



रायपुर, दिनांक 13/05/2013

पृ. क्र. 2058 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री युगल किशोर, पिता- श्री गोपाल सिंह ठाकुर, ग्राम-कसारी, पोस्ट-धनगांव, तहसील-डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगाँव (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2059 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री भोक सिंह राठिया, पिता- श्री मनबोध सिंह राठिया (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अस्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



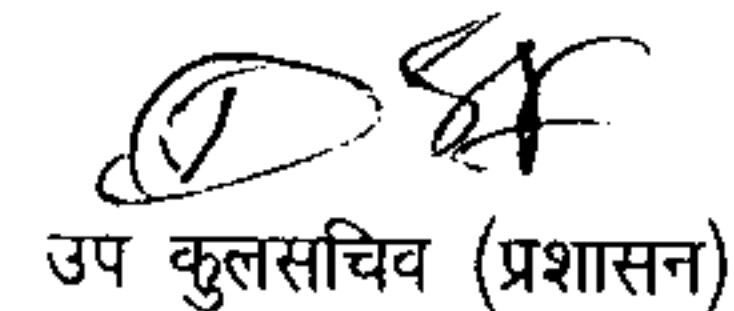
(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

पृ. क्र. 2060 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री भोक सिंह राठिया, पिता- श्री मनबोध सिंह राठिया, ग्राम-केराकछार, पो.आ.-सेन्द्रीपाली, ब्लाया-भैसमा, मंडसील-करतला, जिला-कोरबा (छ.ग.) 495674 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 2061 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री मनबोध तिकी, पिता- श्री दलू राम (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

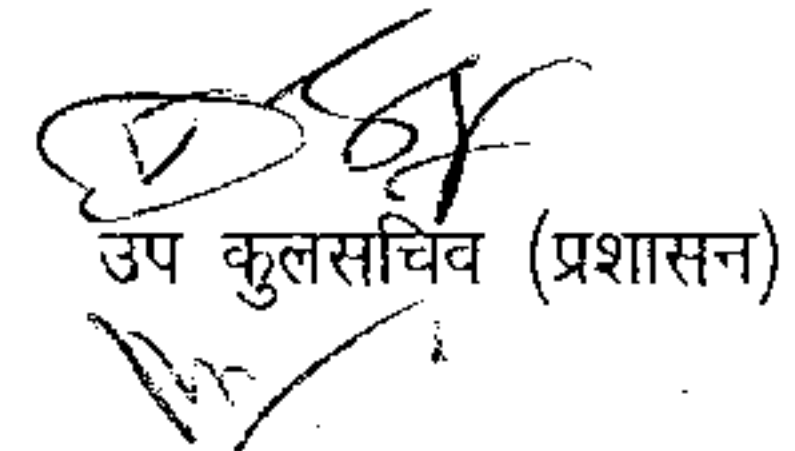


रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

पृ. क्र. 2062 /स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री मनबोध तिकी, पिता- श्री दलू राम, द्वारा- श्री रामकुमार मिंज, स्टेट लेवल, पी.एम.टी. बॉयज हास्टल, पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.) 492001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2065 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार कु. मंजु भगत, पिता- श्री गंडु राम भगत (अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

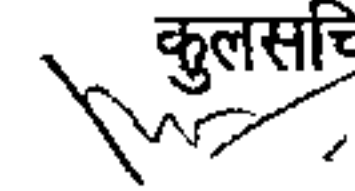
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

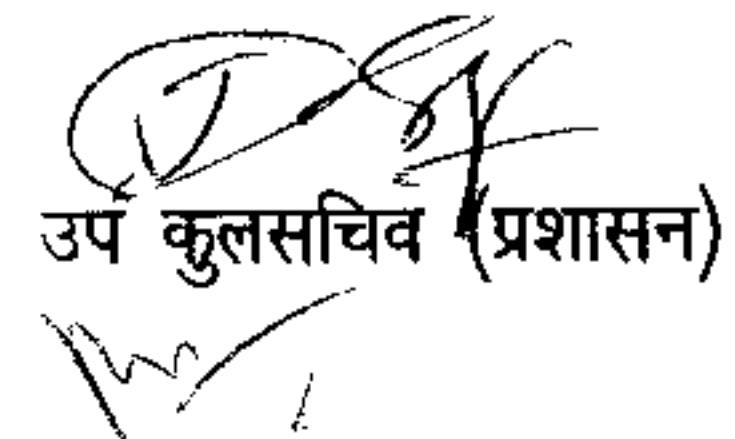


पृ. क्र. 2066 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

प्रतिलिपि :-

1. कु. मंजु भगत, पिता- श्री गंडु राम भगत, ग्राम-सिकरिया, पोस्ट 7 नरियर डांड, थाना- फांसाबेल, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2067/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री अर्जुन लाल निराला, पिता- श्री जीतन लाल निराला (अनुसूचित जाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

पृ. क्र. 2068/स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री अर्जुन लाल निराला, पिता- श्री जीतन लाल निराला, ग्राम- मुड़वाभांठा, पो.आ.-चांटीपाली, तह.-सारंगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) 496445 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2069/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री अजीत कुमार डहरिया, पिता- श्री रामदास डहरिया (अनुसूचित जाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



रायपुर, दिनांक 13/05/2013

पृ. क्र. 2070/स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री अजीत कुमार डहरिया, पिता- श्री रामदास डहरिया, ग्राम-परसवानी, पो.आ.-बिजराडीह. तहसील- भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार (छ.ग.) 493118 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 2071 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री चन्द्रहंस जांगड़े, पिता- श्री बुधराम जांगड़े (अनुसूचित जाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चक्रावर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

पृ. क्र. 2072/स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री चन्द्रहंस जांगड़े, पिता- श्री बुधराम जांगड़े, मु.पो.+तह.- मालखरौद, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.) 495691 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2073 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री कुंदन सिंह, पिता- श्री टोप सिंह (अनुसूचित जाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

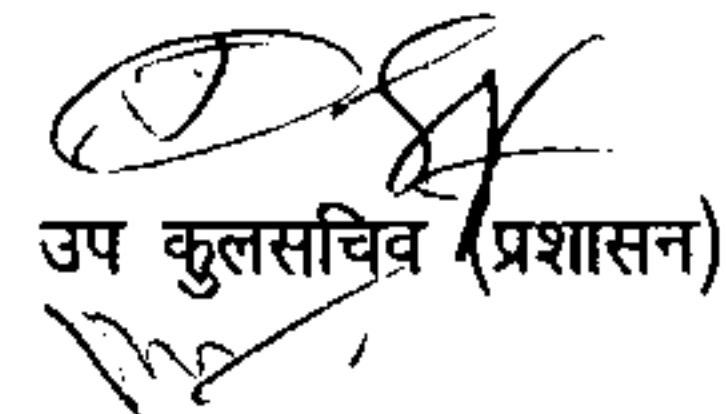


पृ. क्र. 2074 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्री कुंदन सिंह, पिता- श्री टोप सिंह, ग्राम व पोस्ट- सिरसाकला (भाठा), भिलाई-3, जिला- दुर्ग (छ.ग.) 490021 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2075 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री दीपक सहारे, पिता- श्री महेश सहारे (अनुसूचित जाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

पृ. क्र. 2076 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री दीपक सहारे, पिता- श्री महेश सहारे, लाल बगीचा, धमतरी जगदीस सिंह गिल के पास, जिला-धमतरी (छ.ग.) 493773 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. 2077 /स्था./सा.प्रशा./13

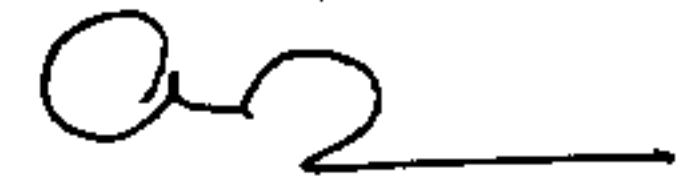
रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्रीमती लता बंजारे, पति- श्री भानुप्रकाश बंजारे (अनुसूचित जाति महिला वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव



पृ. क्र. 2078 /स्था./सा.प्रशा./13

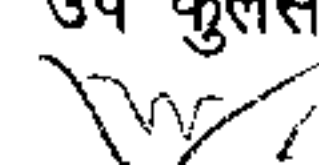
रायपुर, दिनांक 13 /05/2013

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमती लता बंजारे, पति- श्री भानु प्रकाश बंजारे, क्वार्टर नं. 17-बी, (टी/एस टाईप), सड़क नं. 16, सेक्टर-2, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 2079 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्रीमती सतना ज्वाला, पति- श्री राम प्रसाद ज्वाला (अनुसूचित जाति वर्ग) को चपरासी के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु. 4750-7440/- + 1300/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 4750/- + ग्रेड वेतन 1300/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



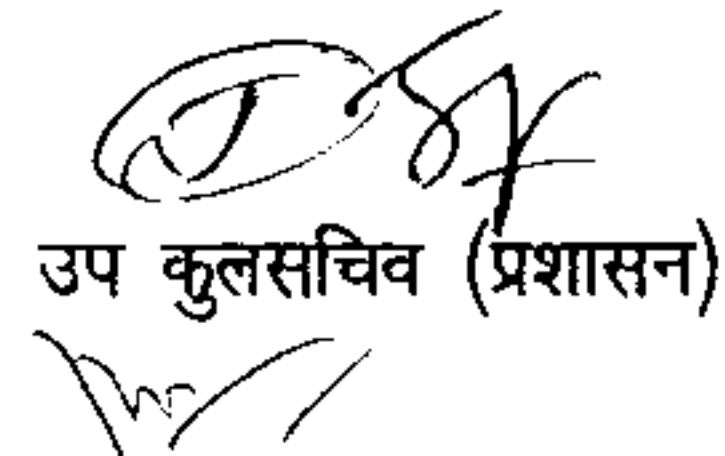
(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 13/05/2013

पृ. क्र. 2080 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमती सतना ज्वाला, पति- श्री राम प्रसाद ज्वाला, ग्राम-तरदा, पो.आ.- तरदा (मु.) परसाभाठा, व्हाया-हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)